

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, राजनांदगांव (छ0ग0)
// आदेश //

क्रमांक / 3901 / सां.लि. / 2020

राजनांदगांव, दिनांक 07.06.2020


छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन, विभाग के पत्र क्रमांक 300 / स.सा.प्र.वि. / 2020, दिनांक 06.06.2020 में दिये निर्देशानुसार दिनांक 08.06.2020 से जिले में निम्नानुसार अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति दी जाती है :-

1. सार्वजनिक पार्क / उद्यान खुल सकेंगे।
2. भारत सरकार द्वारा जारी एस.ओ.पी अनुसार धार्मिक / पूजा स्थल संचालित करने की अनुमति दी जाती है, किन्तु सभी धार्मिक संस्थानों के प्रतिनिधि संबंधित तहसीलदार से भारत सरकार द्वारा जारी एस.ओ.पी. की प्रति प्राप्त करेंगे तथा दिये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
3. क्लबों में केवल बाहरी (आउटडोर) गतिविधियां संचालित हो सकेंगी।
4. स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स एवं स्टेडियम में केवल बाहरी (आउटडोर) खेल गतिविधियां संचालित हो सकेंगी।
5. रेस्टोरेंट हेतु केवल टेक-अवे की अनुमति पूर्वानुसार होगी।
6. होटल संचालन हेतु अनुमति केवल पूर्वानुसार निर्धारित उपयोग हेतु भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी अनुसार होगी। सभी होटल संचालक संबंधित तहसीलदार से भारत सरकार द्वारा जारी एस.ओ.पी. की प्रति प्राप्त करेंगे तथा दिये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
7. शॉपिंग मॉल खोलने व संचालन की अनुमति नहीं होगी।
8. कंटेनमेंट घोषित ज़ोन में लगाए गए प्रतिबंध यथावत् रहेंगे।




पृ. क्रमांक / 3901 / सां.लि. / 2020
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग.शासन, पत्र विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटलनगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3. उप पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज, की ओर सादर सूचनार्थ।
4. पुलिस अधीक्षक, राजनांदगांव,
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव,
6. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला राजनांदगांव
7. उपसंचालक, जनसम्पर्क, राजनांदगांव,
8. सर्व तहसीलदार, जिला राजनांदगांव,
9. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जिला राजनांदगांव,
10. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला राजनांदगांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


कलेक्टर 6/6/2020

एवं जिला दण्डाधिकारी
राजनांदगांव
राजनांदगांव, दिनांक 07.06.2020


कलेक्टर 6/6/2020

एवं जिला दण्डाधिकारी
राजनांदगांव

धार्मिक स्थलों में प्रवेश हेतु भारत सरकार द्वारा जारी एस.ओ.पी.

- प्रवेश द्वार पर हैण्ड वाश/हैण्ड सेनिटाईजर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
- केवल ऐसे व्यक्तियों को ही परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं हों।
- मास्क/फेस कवर का उपयोग करने पर ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
- प्रवेश द्वार पर कोरोना (कोविड-19) संक्रमण से बचाव के उपाय के संबंध में पोस्टर/स्टैण्ड लगाया जाना अनिवार्य होगा। संक्रमण के बचाव के संबंध में ऑडियो/विडियो क्लिप के माध्यम से जागरूकता फैलाया जाएगा।
- आगन्तुक जूते चप्पल स्वयं के वाहन में रखकर प्रवेश करेंगे अथवा प्रत्येक परिवार के जूते चप्पल पृथक रखे जाएंगे।
- परिसर के अंदर एवं बाहर भीड़ को व्यवस्थित करने व सोशल डिस्टेंस बनाये रखने हेतु प्रबंधन द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी।
- परिसर के भीतर व बाहर स्थित सभी दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया को सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का पालन अनिवार्य होगा।
- परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के लिए आगंतुकों की कतार हेतु चिन्हांकन किया जाना अनिवार्य होगा।
- परिसर में प्रवेश एवं निकास की अलग व्यवस्था की जाएगी।
- प्रवेश के समय प्रत्येक व्यक्ति के बीच 6 फिट की दूरी अनिवार्य होगी।
- परिसर में बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे।
- एयर कंडिशनर/वेंटिलेशन के उपयोग के संबंध में सीपीडब्ल्यूडी के दिशानिर्देशों का पालन किया जाना होगा, जिसके अनुसार एयर कंडिशनर उपकरणों का तापमान सेटिंग 24-30°C की सीमा में होना चाहिए, ह्यूमिडिटी रेंज 40-70% होनी चाहिए। जहां तक संभव हो ताजा हवा तथा कास वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए।
- मूर्तियों/पवित्र पुस्तक आदि को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी।
- बड़ी सभाएं निषिद्ध रहेगी।
- संक्रमण के फैलने के संभावित खतरे के मद्देनजर, जहां तक संभव हो, रिकार्ड किये गये भक्ति संगीत/गाने बजाए जा सकते हैं, गाना बजाने वालों या गायन समूहों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
- एक दूसरे को बधाई देते समय शारिरिक सम्पर्क न हो।
- प्रार्थना हेतु सार्वजनिक मेट (चटाई) का वर्जित होगा, प्रत्येक आगंतुक स्वयं के मेट (चटाई/दरी) का उपयोग करेंगे।
- परिसर के भीतर प्रसाद वितरण व जल छिड़काव प्रतिबंधित रहेगा।
- सामाजिक रसोई/लंगर/अन्न-दान के दौरान सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जाए।
- परिसर के भीतर व हॉथ-पैर धोने वाले स्थानों पर प्रभावी सेनिटाईजेशन का विशेष ध्यान रखना होगा।
- परिसर में फ्लोर की लगातार सफाई करनी होगी।
- परिसर में आने वाले आगंतुक व कर्मचारी फेस कवर/मास्क/ग्लोब्स को सही तरीके से डिस्पोज करेंगे।
- धार्मिक संस्थान के किसी कर्मचारी, सदस्य में कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं, तो उन्हें परिसर में प्रवेश न करने दे, तथा इसकी सूचना तत्काल जिला प्रशासन को देना सुनिश्चित करें।
- कंटेनमेंट घोषित जोन में लगाए गए प्रतिबंध यथावत् रहेंगे।

